



2026:AHC:57809

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

सिविल विविध पुनर्विचार आवेदन संख्या - 14/2026

प्रदीप कुमार सिंह

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

चंद्र मोहन गर्ग और 2 अन्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : अर्चना हंस

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 9

माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल

1. पुनर्विचार आवेदन पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने पर, मैंने पाया कि पूर्व प्रार्थी ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी, जिसमें प्रार्थी को यह निर्देश दिया गया था कि वह 'उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006' की धारा 67 के तहत आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करके संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क करे। प्रार्थी के अनुसार, एक और पीआईएल दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसे भी खारिज कर दिया गया। यह मामला विशेष अपीलीय न्यायालय तक पहुँचा, और प्रार्थी द्वारा दायर विशेष अपील जिसका क्रमांक विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 937/2025 था को दिनांक 06.11.2025 को खारिज कर दिया गया, तथा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"ए. विलंब माफी आवेदन पर आदेश।

1. अपील दायर करने में हुई 33 दिनों की देरी का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है।

2. तदनुसार, विलंब क्षमा किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदन स्वीकार किया जाता है।

4. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस अपील को नियमित संख्या आवंटित करे।

बी. अपील मेमो पर आदेश।

1. यह वर्तमान अंतर-न्यायालय अपील, माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांक 18.07.2025 के विरुद्ध दायर की गई है; जिसके द्वारा याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट - सी संख्या 23066/2025 को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया है कि यह विवाद निजी प्रकृति का है। इस याचिका में, प्रतिवादी संख्या 3, यानी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील सकलडीहा, जिला चंदौली को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे प्रतिवादी संख्या 4 और 5, यानी सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, तहसील सकलडीहा, जिला चंदौली और प्रवीण पांडे (निजी प्रतिवादी) के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें। इसके अतिरिक्त, आदेश दिनांक 19.08.2025 भी चुनौती के अधीन है, जिसके द्वारा पुनर्विचार आवेदन खारिज कर दिया गया है।

2. अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसके परिणामस्वरूप यह अपील सामने आई है। इस याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि निजी प्रतिवादी संख्या 5 ने गाँव सभा की ज़मीन पर अतिक्रमण किया है और उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006' की धारा 67 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

3. हमारे सामने इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पिछली बार, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता ने एक और जनहित याचिका पीआईएल संख्या - 1154 of 2024 दायर की थी, जिसका निस्तारण आदेश दिनांक 02.07.2024 द्वारा किया गया था। इस आदेश में याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर आरसी प्रपत्र -19 में उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई थी, और ऐसा आवेदन



प्रस्तुत किए जाने पर, सहायक कलेक्टर/तहसीलदार को निर्देश दिया गया था कि वे एक मामला दर्ज करें और उसके विरुद्ध आगे की कार्रवाई करें।

4. याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका को इस आधार पर खारिज करके त्रुटि की है कि इसमें एक निजी विवाद शामिल है, जबकि वास्तव में यह विवाद एक सार्वजनिक भूमि से संबंधित था।

5. हमें इस दलील में दम नज़र आता है, लेकिन चूंकि पिछली पीआईएल में अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश दिनांक 02.07.2024 पहले से ही मौजूद है, और यदि जैसा कि याचिका में आरोप लगाया गया है, सहायक कलेक्टर/तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया है, तो अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के लिए उक्त आदेश के उल्लंघन के लिए अवमानना याचिका दायर करने का विकल्प खुला है। हालाँकि किसी भिन्न कारण से हम अंतिम परिणाम को स्वीकार करते हैं।"

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अपीलीय न्यायालय ने आवेदक के लिए एक अवसर प्रदान किया है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो वह अवमानना याचिका दायर कर सके।

4. विद्वान अधिवक्ता आगे यह तर्क देते हैं कि विरोधी पक्षकारों में से एक के विरुद्ध अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है, परंतु संहिता की धारा 67 के अंतर्गत अन्य अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध आवेदन विचाराधीन है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष उन्हें प्राप्त निर्देश प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार, संहिता की धारा 67 के तहत कार्यवाही दिनांक 13.01.2026 को समाप्त हो गई है, जिसकी प्रति निर्देशों के माध्यम से अभिलेख पर लाई गई है।

5. उक्त तथ्य को देखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि अधिकारियों द्वारा पर्याप्त अनुपालन किया गया है।



6. पुनर्विचार का कोई आधार नहीं बनता है। पुनर्विचार आवेदन भ्रामक है और इसे खारिज किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल)

20 मार्च, 2026

वी. एस. सिंह

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।